न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - शैला फौजदार, आर.जे.एस.
निय. फौजदारी सं. - 579/2023
एफ.आई.आर सं. - 76/2008 थाना मनियां
सी.एन.आर. सं. - RJDH020009992023

राजस्थान राज्य सरकार **......अभियोगी**

बनाम

1 मलखान पुत्र पोप सिंह गुर्जर निवासी भमरौली थाना सदर जिला धौलपुर राज. (फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 05.10.2024)

2 विनोद पुत्र पंचम सिंह, निवासी भमरौली थाना सदर जिला धौलपुर राज.।

3 वीरेन्द्र पुत्र रामजीलाल, निवासी भमरौली थाना सदर जिला धौलपुर राज.।

4 रामनिवास उर्फ नहनू उर्फ रामविलास पुत्र बाबूलाल निवासी पोस्ट ऑफिस के पास कस्बा मनियां जिला धौलपुर राज.।

5 पप्पू पुत्र भीमसेन, निवासी हेतराज का अड्डा भानपुर थाना मनियां जिला धौलपुर राज.

6 भीमा उर्फ भीमसेन पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां जिला धौलपुर राज.

7 सौदान सिंह पुत्र भीमसेन, निवासी हेतराज का अड्डा थाना मनिया जिला धौलपुर राज.

8 भवानी सिंह पुत्र बाबूलाल, निवासी मनियां जिला धौलपुर राज.

9 दिलीप सिंह पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां जिला धौलपुर राज.

10 अमरसिंह पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां, जिला धौलपुर

11 भूरी सिंह पुत्र श्री मेवाराम, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, मनियां, थाना मनियां, धौलपुर

12 रामेश्वर पुत्र मेवाराम, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, मनियां, थाना मनियां, धौलपुर

13 भगवानदास पुत्र बाबूलाल, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, मनियां, थाना मनियां, धौलपुर

14 लोकमन पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां, जिला धौलपुर

15 देवीसिंह उर्फ देवो पुत्र मेवाराम, निवासी मनियां, जिला धौलपुर

.........अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

उपस्थितिः-

1- राज्य की ओर से - अभियोजन अधिकारी ।

2- अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमवीर सिंह गुर्जर व श्री शान्तनु शर्मा।

SATYENDRA SINGH
Stenographer-III "Authenticate document"
Digitally signed by SATYENDRA SINGH

- निर्णय-

दिनांकः-13.03.2026

1. सर्वप्रथम थानाधिकारी पुलिस थाना मनियां, धौलपुर द्वारा जरिये अभियोजन अधिकारी के अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत् आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, धौलपुर में पेश किया गया। तत्पश्चात श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के आदेश से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानांतरित की गई जिसे पंजीबद्ध कर प्रकरण का आज निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षिप्त विवरणानुसार एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादी राजवीर सिंह, हैड कानि.225 ने थाना मनियां, धौलपुर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.03.2008 को समय 10.30 एएम पर जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर मुस्तगीस व जाप्ता में कानि. श्री भगवान, विजय कुमार, अजय सिंह मय जीप सरकारी नंबरी आर.जे.11 सी 1058 मय चालक हिमांचल सिंह के रवाना होकर समय 10.45 ए.एम. पर मागरोल रोड़ मनियां के पुलिया के पास पहुंचे, तो मांगरोल की तरफ से तीन ट्रैक्टर बिना नंबरी मय ट्रॉली चंबल रेता से भरे, जिसमें एक ट्रेक्टर आइशर व दो ट्रेक्टर स्वराज आते हुए दिखायी दिये, जिन्हें इशारा देकर रुकवाया व चालकों को ट्रेक्टर से उतारकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम वीरेन्द्र गुर्जर, दूसरे ने विनोद गुर्जर, तीसरे चालक से नाम पूछना चाहा, तो कस्बा मनियां जीटी रोड की तरफ 20-25 व्यक्ति हाथों में लाठी, सरिया लेकर एकराय होकर आये और गाली-गलौंच करते हुए कहा कि इन ट्रेक्टरों को हमने चंबल रेता लेकर मंगवाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इन्हें रोकने की। उक्त व्यक्तियों में मुस्तगीस व जाप्ता ने पहचान लिया । दिलीप, अमर सिंह, भीमा उर्फ भीमसिंह पुत्रगण भगवान दास, भवानी, नेहनू उर्फ रामविलास, भूरी, देवो उर्फ देवीसिंह पुत्रगण मेवाराम तथा सौदान, पप्पू व इनके साथ आठ-दस आदमी और थे। उक्त सभी व्यक्तियों ने सरकारी जीप को घेर लिया और कहा कि तुमने यह ट्रेक्टर पकडे तो जान से खत्म कर देंगे। फिर ट्रैक्टरों के चालक ट्रेक्टरों को लेकर जाने लगे, जिनको मैंने व मुलाजिमान ने रोकना चाहा, तो सभी ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की । देवो उर्फ देवीसिंह ने मेरे बांये हाथ की कोहनी के पास लाठी मारी व भगवानदास ने कुल्हे बांयी तरफ लाठी मारी, अन्य सभी लोगों ने भी लाठी व थाप-घूसों से मेरी व साथ मुलाजिमान की मारपीट कर चोटें पहुंचायी । मैंने जीप सरकारी के वायरलेस से थाने पर सूचना देनी चाही, तो देवो उर्फ देवीसिंह ने हाथ से माईक छीन लिया और सूचना नहीं देने दी। तब तक तीनों ट्रेक्टर चालक ट्रैक्टरों को भगाकर मांगरोल की तरफ ले गये । जब ट्रैक्टर काफी दूर निकल गये, तो उक्त सभी लोग भाग गये । मारपीट से मेरे व जाप्ता के चोटें आयी हैं। उक्त लोगों के जाने के बाद भागे हुए ट्रेक्टरों का पीछा किया, लेकिन नहीं मिले....इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना मनियां, धौलपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2008 अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51, 52 वन्य जीव

संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश न्यायालय किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 41, 42 फोरेस्ट एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर विचारण प्रारंभ किया गया।

3. आरोप बहस सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये जिन्हें अभियुक्तगण ने सुन-समझ कर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डी0 1 अजय सिंह, पी0डी0 2 भगवान शर्मा, पी0डी0 3 विजय कुमार, पी0डी0 4 हिमांचल सिंह, पी0डी0 5 डॉ. पवन बांधिल, पी0डी0 6 राजवीर सिंह को परीक्षित करवाया जाकर बयान लेखबद्ध किए गए। प्रलेखीय साक्ष्यों में चोट प्रतिवेदन अजय सिंह प्रदर्श पी 01, फर्द गिरफतारी मुलजिम रामविलास प्रदर्श पी 02, फर्द गिरफतारी मुलजिम पप्पू प्रदर्श पी 03, फर्द गिरफतारी मुलजिम भूरी सिंह प्रदर्श पी 04, फर्द गिरफतारी मुलजिम रामेश्वर प्रदर्श पी 05, फर्द गिरफतारी मुलजिम भगवानदास प्रदर्श पी 06, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 07, चोट प्रतिवेदन भगवान सिंह प्रदर्श पी 08, फर्द गिरफतारी मुलजिम लोकमन प्रदर्श पी 09, फर्द गिरफतारी मुलजिम देवी सिंह प्रदर्श पी 10, फर्द गिरफतारी मुलजिम विनोद प्रदर्श पी 11, फर्द गिरफतारी मुलजिम मलखान प्रदर्श पी 12, फर्द जब्ती ट्रैक्टर प्रदर्श पी 13, पुलिस बयान भगवान प्रदर्श पी 14, चोट प्रतिवेदन विजय कुमार प्रदर्श पी 15, चोट प्रतिवेदन हिमाचल प्रदर्श पी 16, चोट प्रतिवेदन राजवीर प्रदर्श पी 17, एक्सरे रिपोर्ट विजय कुमार प्रदर्श पी 18, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19, नियुक्ति/पदस्थापन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 20 को पेश किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की गयी।

5. अभियुक्तगण को दिनांक 30.01.2025 को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किए जाने पर गवाहान् के कथनों को गलत होना जाहिर किया एवं स्वयं को झूंठा फंसाया जाने का कथन करते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना जाहिर किया। जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा समाप्त की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उसे आरोपित अपराध में संबंद्ध किया जा सके। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तगण से जब्त रेता चंबल नदी घड़ियाल प्रतिबन्धित क्षेत्र से लाया गया हो। अभियुक्तगण द्वारा लोकसेवकों के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न नहीं की गई और ना ही कोई

मारपीट की गई है। मुख्य साक्ष्य में पुलिस गवाहान के अतिरिक्त किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियोजन द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया जाकर अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः उसे कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जावे।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के निस्तारर्णाथ विचारणीय बिन्दू यह हैं कि -

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 07.03.2008 को समय 10.45 एएम के लगभग कस्बा मनियां में मांगरौल रोड़ पर अभियुक्त द्वारा आपसी षड्यंत्र कर पांच से अधिक संख्या में होते हुए लाठी डंडा सरिया आदि घातक हथियार लेकर मुस्तगीस राजवीर सिंह हैड़ कानि. व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में उनको पदीय कर्तव्य को निर्वहन से भयोपरत कर आपराधिक बल का प्रयोग कर उनके मारपीट कर चोटें पहुंचाई एवं चंबल नदी घडियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से बिना किसी प्राधिकृत अधिकारी की सहमति के रेता चोरी करने के आशय से उसका खनन/दोहन व परिवहन कर घड़ियालों के प्राकृतिक आश्रय स्थल को क्षति कारित की?

यदि हां तो अभियुक्तगण किस दंड के पात्र होंगे ?

8. दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्तगण पर आक्षेपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया जा रहा है-

9. पी०ड० 06 राजवीर सिंह जो कि मुस्तगीस है एवं साक्ष्य में यह कथन करता है कि दिनांक 07.03.2008 को थाना मनियां पर हेडकानि. के पद पर तैनात था। उस दिन सुबह 10.30 बजे जरिये मुखविर सूचना मिली की अवैध चम्बल रेता के तीन रेता ट्रैक्टर मनियां की ओर आ रहे है। इस सूचना पर एसएचओ साहब के निर्देशानुसार वह, कानि. अजयसिंह, विजय कुमार, श्रीभगवान को साथ लेकर मय जीप सरकारी चालक हिमाचल सिंह के रवाना होकर समय 10.45 एएम पर मांगरोल रोड मनियां पहुंचा जहां पर मांगरोल की ओर से तीन ट्रैक्टर बिना नम्बरी जिनकी ट्रॉली मे चम्बल रेत भरा हुआ था आते दिखाई दिये जिनमें से एक ट्रैक्टर आईसर व दो ट्रैक्टर स्वराज थे। जिन्हें रूकवाकर चालकों से नाम पता पूछा एक ने अपना नाम वीरेन्द्र गुर्जर दूसरे ने विनोद गुर्जर बताया तीसरे का नाम पूछना चाहा तभी कस्बा मनियां की ओर से 20-25 आदमी जिनके हाथ में लाठी सरिया थे आये

और पुलिस जाप्ता को अपशब्द से संबोधित कर कहने लगे की चम्बल रेता हमने मंगाया है तुमने इन्हें कैसे रोका है। उन व्यक्तियों को उसने व हमराही जाप्ता ने पहचान लिया जो दिलीप, अमरसिंह, भीमसिंह, लोकमन, भगवानदास, भवानी, रामविलाश, भूरी, देवो उर्फ देवीसिंह, रामेश्वर, सौदान, पप्पू व इनके साथ 8-10 आदमी और थे इन लोगों ने सरकारी जीप को घेर लिया व धमकी दी कि यदि तुमने ट्रैक्टर पकडे तो तुम्हें जान से खत्म कर देगें। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की व लाठी-डंडों से मारपीट की। देवो उर्फ देवीसिंह ने उक्त गवाह के बांये हाथ में लाठी मारी व बाकी लोगों ने थाप थप्पडों से मारपीट की और वायरलेस माईक छीन लिया व थाने सूचना नहीं करने दी। उसके बाद ये लोग तीनों ट्रैक्टरों को मय चम्बल रेत के भगा ले गये। उसके बाद मैंने थाने पर रिपोर्ट की जो प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। आईओ ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 बनाया था जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। मेरी चोटों को मेडिकल मुआयना हुआ था जो प्रदर्श पी 17 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे नियुक्ति पदस्थापन की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी एसएचओ मनियां के हस्ताक्षर है।

10. जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मेरा और मुलजिमान का उठना बैठना नहीं लेकिन मैं उनको शक्ल व चेहरे से जानता था। मैं शक्ल व चेहरे से कैसे जानता था ये मैं आज सही तरीके से नहीं बता सकता अजखुद कहा कि वो थाने में आते-जाते रहते थे। मुझे ध्यान नहीं कि मुलजिमान घटना से पहले किस काम से किस समय थाने पर आये। मुलजिमान की करीब 20-25 आदमियों की भीड होगी सभी ने हमारे साथ एकसाथ हमला किया था। 20-25 लोगों ने जो हमला हम पर किया था उनमें से देवो और भगवान दास को छोडकर भीड ने किसने कहां मारा किसको मारा अधिक समय हो जाने के कारण मुझे आज ध्यान नहीं है। मुझे तीन-चार चोट आई थी उन चोटों से खून नहीं निकला सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई थी। एफआईआर प्रदर्श पी 19 मेरे द्वारा लिखित है। यह कहना सही है कि नक्शे मौके के जो गवाह है वो सभी पुलिसकर्मी है। यह कहना सही है कि नक्शे मौके का अनुसंधान अधिकारी ने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। यह कहना सही है कि मैं चोटों के लिए हॉस्पीटल में एडमिट नहीं रहा। यह कहना सही है कि मेरा हॉस्पीटल में इलाज बावत पर्चा पत्रावली पर मौजूद नहीं है। घटनास्थल के आस-पास गौरी सरपंच का मकान है, कुशवाह की दुकान है, सतीश की दुकान है। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय ये लोग वहां मौजूद थे या नहीं आज मुझे ध्यान नहीं। घटनास्थल से गौरी सरपंच का मकान उत्तर दिशा है व सतीश, कुशवाह की दुकान दक्षिण दिशा है। घटनास्थल के पूर्व-पश्चिम में रोड स्थित है। यह कहना सही है कि घटनास्थल भीडभाड वाला इलाका है उस भीडभाड में से भी हमारे अनुसंधान अधिकारी ने घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। इस केस के अनुसंधान अधिकारी थे वह मेरे उच्च अधिकारी थे।

11. पी०डब्ल्यू०1 अजय सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 07.03.2008 को वह कानि. के पद पर थाना मनियां के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एचसी राजवीर को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि तीन ट्रैक्टर चंबल रेता लेकर मनियां की तरफ आ रहे है, जिस पर एचसी राजवीर के साथ वह व कानि. श्री भगवानकुमार, विजयकुमार मय जीप सरकारी चालक हिमाचल के 10.45 एएम पर थाने से रवाना होकर मांगरोल रोड मनियां पुलिया के पास पहुंचे, तो तीन ट्रेक्टर जिनकी ट्रॉली में चंबल रेत भरा था मांगरोल से आते हुये दिखाई दिए जिनको रूकवाया। एक ट्रैक्टर आयसर व दो ट्रैक्टर स्वराज बिना नंबरी थे। एक चालक ने अपना नाम वीरेन्द्र दूसरे ने विनोद बताया तीसरे से नाम पता पूछा तो कस्बा मनियां की ओर से 20-25 आदमी हाथो मे लाठी सरिया लेकर आए और पुलिस से गाली-गलौच करने लगे और जबरदस्ती कर ट्रैक्टरो को छुडाने लगे, जिनको गवाह ने पहचान लिया उनके नाम दिलीप, अमरसिंह, भीमसिंह, लोकमन, भगवानदास, भवानी, रामविलास, भूरी, देवो, रामेश्वर, सौदान, पप्पू, व इनके साथ 8-10 और आदमी थे। इन सभी ने उनके साथ धक्का-मुक्की व थापथपडो से मारपीट की। देवो और भगवानदास ने एचसी राजवीर के साथ लाठियों से मारपीट की। देवो ने हैडसाहब के हाथ से माइक छुडा लिया और थाने पर सूचना नही करने दी। तीनो ट्रैक्टरो को चालक भगाकर ले गए। उसके बाद ये सभी लोग भी वहाँ से भाग गए। मारपीट से चोटे आयी। उन्होंने ट्रैक्टरो का पीछा किया, परन्तु पकड मे नही आया। मेरी एमएलआर प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। रामजीलाल एएसआई ने दिनांक 09.03.2008 को मेरे व विजय के सामने मुलजिम रामविलास, पप्पू को जरिये फर्द प्रदर्श पी 2 व 3 के गिरफतार किया, जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 21.05.2008 को मुलजिम भूरीसिंह, रामेश्वर, भगवानदास को एएसआई साहब ने इस मुकदमे में जरिए फर्द प्रदर्श 4, 5, 6 के गिरफ्तार किया था जिन सभी पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है।

12. जिरह में गवाह ने कथन किया कि राजवीर हैडकानि. को सूचना किस माध्यम से मिली कि रेत से भरे हुए ट्रैक्टर मनियां मे होकर निकल रहे है, यह मेरी जानकारी मे नही है। यह सुबह 11 बजे की बात हैं। यह बात सही है कि सुबह 9 बजे के बाद बाजार की सभी दुकाने खुलना शुरू हो जाती है व बाजार में 10-10.30 बजे तक भीडभाड शुरू हो जाती है। तीनों ट्रैक्टरो पर एक-एक आदमी था, जो चालक के रूप मे थे। यह कहना सही है कि मै, श्रीभगवानसिंह, विजयकुमार, अजयसिंह वक्त घटना थाना मनियां पर तैनात थे ऐसा कोई रिकॉर्ड पत्रावली में मौजूद नही है। यह कहना सही है कि इस घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा नही बनाई गई है। मांगरोल तिराहे पर 10-20 आदमी ट्रैक्टरो को छुड़ाने के लिए आए थे। ट्रैक्टर तीनो विना नंबरी थे। ट्रैक्टर ट्रॉलीयों पर कुछ लिखा-पढी हो रही हो मेरी जानकारी मे नही है। कस्बा मनियां की तरफ से भीड आई थी। मैं भीमा, रामेश्वर, सौदान को मनियां में पदस्थापित होने के कारण जानता था। आस पास कोई भीड मौजूद नहीं थी केवल 10-20 आदमी ही आए थे। यह कहना सही है कि हम सरकारी गाडी से जहाँ भी जाते है वहाँ, जाने

बाबत सरकारी गाडी की लॉकबुक भरी जाती हैं। यह कहना सही है कि दिनांक 07. 03.2008 की ऐसी कोई लॉकबुक पत्रावली में मौजूद नही है। यह कहना सही है कि मैंने चंबल रेता के संबंध में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा वक्त घटना किसी भी मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। यह कहना सही है कि ना ही किसी मुलजिमान के कब्जे से चंबल रेत मय उपयोग ट्रैक्टर व ट्रॉली को जब्त नहीं किया। यह कहना सही है कि मेरे व राजवीर के चोटे आई थी। यह कहना सही है कि मेरे चोटे आयी हो इस बाबत मेरा मेडिकल हुआ था, मेरा मेडीकल भी पत्रावली में शामिल है। यह कहना सही है कि मुलजिमानों को थाने पर ही गिरफ्तार किया गया था। मेरा बयान आईओ रामजीलाल के द्वारा दिनांक 07.03. 2008 को लिया था। जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2,3,4,5,6 आई ओ रामजीलाल के स्वयं की कलमी है। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हूँ।

13. पी०डब्ल्यू०2 भगवान शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 07.03.2008 को वह थाना मनिया पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन समय साढे दस एएम पर एचसी राजवीर को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी जिसके आधार पर वह, विजय, अजय व सरकारी जीप का चालक हिमाचल के मुखबिर के बताये स्थान पर मांगरोल रोड पर पहुँचे वहाँ देखा मांगरोल की तरफ से तीन ट्रैक्टर मय ट्रॉली अवैध चंबल रेता भरी हुई थी आते दिखाई दी। जिन्हे ईशारा देकर रूकवाया व तीनो चालको से उनके नाम पता पूछे उनमे से एक ने अपना नाम वीरेन, व दूसरे ने विनोद बताया व तीसरे का नाम पूछ रहे थे तो उसी समय मनियां की तरफ से 20-25 लोग हाथो मे लाठी डण्डे लेकर आ गए व उन सभी से गाली-गलौच करने लगे, व कहा कि हमने रेता मंगाया था। समय अधिक होने के कारण मुझे आज भीड में मौजूद लोगो के नाम याद नही है। पर वक्त घटना गवाह को उनके नाम पता थे और मैंने अपने बयानो में उनके नाम लिखवाये थे। उक्त भीड द्वारा हम सभी की मारपीट की थी। ट्रैक्टरो व चालको को छुडा कर ले गए। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 07 है। जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। मेरा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 है। जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी मुलजिम लोकमन प्रदर्श पी 09 है, व देवी सिंह प्रदर्श पी 10 है। फर्द गिरफतारी विनोद प्रदर्श पी 11 है। जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी मलखान प्रदर्श पी 12 है। फर्द जब्ती ट्रैक्टर बिना नंबरी प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 14 का ए से बी भाग सुनकर गवाह ने कहा यह बात सही है।

14. जिरह में गवाह का कथन है कि यह कहना सही है कि दिनांक 07.03.2008 को समय 10.30 बजे एचसी राजवीर को जरिये मुखबिर सूचना मिली जिसके आधार पर मैं, विजय, अजय सरकारी जीप चालक मुखबिर के बताये स्थान मांगरोल रोड पर पहुंचे हमारे जाने बाबत ऐसी कोई रवानगी व वापसी की रपट न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। यह कहना सही है कि हम सरकारी वाहन से जहां भी जाते हैं तो उस गाडी की लोगबुक भरी

जाती है लेकिन ऐसी कोई लॉगबुक न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। यह कहना गलत है कि जो भीड आयी थी उसमें से में किसी को नहीं जानता था मैं उनमें से 8-10 लोगों को उस समय जानता था परंतु आज किसी को नहीं जानता हूं। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा मौके पर न तो टेक्टर न ही ढोली न ही रेता को जब्त किया। तीनों ही टेक्टर मौके से भाग गये। यह सही है कि मौके से किसी भी मुलजिमान को गिरफतार नहीं किया गया। सूचना एचसी राजवीर को मुखबिर द्वारा मिली थी लेकिन वो सूचना किस माध्यम से मिली ये मेरी जानकारी में नहीं है और सूचना मेरे सामने नहीं मिली थी। नक्सा मौका प्रदर्श पी 7 मेरी निशादेही से नहीं बनाया था बल्कि मेरे सामने बनाया गया था। यह सही है कि वक्त घटना तथाकथित घटना स्थल वाला स्थान का पूरा मार्केट और दुकाने खुली हुई थी और वहां भीड थी। नक्सा मौका बनानेरामजीलाल एएसआई आईओ, मैं और एक पुलिसकर्मी और था हम तीन लोग गये थे। यह सही है कि नक्सा मौका प्रदर्श पी 7 बनाने जाने की रवानगी व वापसी की रपट पत्रावली में नहीं है। यह सही है प्रदर्श पी 7 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को राजी नहीं हुआ। यह कहना सही है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ ऐसा कोई नोट प्रदर्श पी 7 पर अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी में तीन टेक्टर वक्त घटना मांगरोल रोड से मनिया की तरफ रेता भरकर आ रहे थे ऐसा कोई तथ्य प्रदर्श पी 7 में अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि मुलजिम लोकमन, देवीसिंह, विनोद व मलखान को थाने पर ही गिरफतार किया था और उनकी फर्द गिरफतारी भी थाने पर बनायी थी जो स्वयं रामजीलाल की कलमी थी। मेरी मेडीकल किस तारीख को हुआ ये मुझे याद नहीं है लेकिन मेरा मेडीकल 7 या 8 मार्च को हुआ था। मेरे शरीर के किस हिस्से में चोटें आयी थी मैं आज नहीं बता सकता क्योंकि काफी समय हो चुका है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 13 टेक्टर को भी हमने थाने पर ही जब्त किया था। यह कहना गलत है कि हमने अपने उच्च अधिकारीयों के कहने पर ये कार्यवाही की हो। यह कहना गलत है कि हम कहीं नहीं गयी हो और थाने पर बैठकर ही झूठी कार्यवाही की हो।

15. पी०डब्ल्यू०3 विजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 07.03.08 को वह कानि. के पद पर थाना मनियां पर पदस्थापित था। उस दिन श्री राजवीर सिंह हैड कानि. द्वारा बताया गया कि मांगरोल की तरफ से बजरी के ट्रेक्टर आ रहे हैं। ये उन्हें सूचना मिली थी। इस पर एसएचओ साहब के आदेषानुसार मैं श्रीभगवान, अजय व हिमाचल कानि. चालक मय सरकारी गाडी एचसी राजवीर के साथ कस्बा सेवर में मांगरोल रोड पर थाने से करीब 10.30 बजे रवाना होकर मांगरोल रोड पर 10.45 बजे पहुंचे। मांगरोल की ओर से तीन ट्रेक्टर जिनकी टोलियों में मय चंबल रेता भरा था कस्बा की ओर आते दिखाई दिये जिनमें दो स्वराज व दो आयसर था। जिनको रूकवाया व नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम विनोद व दूसरे ने अपना नाम वीरेन्द्र बताया। दोनों भवरोली के रहने वाले थे तथा जाति से गुर्जर थे। तीसरे के पास जैसे ही नाम पूछने के लिए गये तो उसने

नाम नहीं बताया तभी गली में से 20-25 लोगों की भीड लाठी डण्डा लेकर आ गई और हैड साहब से कहा कि आप इन्हें कैसे रोक रहे हो ये ट्रेक्टर हमने मंगवाये हैं। हैड साहब ने उनसे रेता के रवन्ना मांगे तो इतने पर ही 20-25 आदमी हमारे साथ मारपीट करने लगे जिनमें से कुछ को गवाह जानता था। जिनके नाम दिलीप, सौदान, देवो, पप्पू, अमरसिंह बगैरा थे। इनके साथ अन्य व्यक्ति और थे जिनके नाम नहीं जानता। उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की व मारपीट शुरु की। हैड साहब ने थाने पर जाब्ता बुलाने हेतु सूचना वायरलेस देना चाही तो उन लोगों ने वायरलैस का हैडमाइक खीचंकर तोड दिया। फिर टैक्टर वाले टैक्टरों को मांगरोल की तरफ भगाकर ले गए। उसके बाद वे थाने पर आये जहा हैड साहब ने एफआईआर दर्ज कराई। आईओ ने गवाह के सामने घटनास्थल का नक्षा मौका प्रदर्श पी.7 बनाया था जिस पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। गवाह की चोटों का मेडिकल मुआयना व एक्सरे हुआ था जो प्रदर्श पी. 15 है जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 09.03.08 को रामजीलाल एएसआई ने मेरे व अजय कानि. के समक्ष मुल्जिम नेहनू और पप्पू को जरिये फर्द प्रदर्श पी.2 व पी.3 के गिरफ्तार किया था जिन दोनो पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 13.10.08 को एएसआई साहब ने गवाह के सामने मुल्जिम वीरेन्द्र को जरिये फर्द प्रदर्श पी.6 के गिरफ्तार किया था जिस पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं।

16. जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मैं दिनांक 07.03.08 को थान मनियां पर एलसी के पदपर तैनात था मेरी तैनाती बाबत ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है अजखुद कहा कि पत्रावली में रोजनामचा की रपट उपलब्ध है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि राजवीर हैड कानि. को मांगरोल से टेक्टर आने की सूचना किस माध्यम से मिली थी। यह कहना सही है कि एसएचओ साहब मनियां का कोई भी लिखित आदेष न्यायालय की पत्रावली में नहीं है जिसमें आदेषानुसार मैं श्रीभगवान, अजय व हिमाचल कानि. चालक मय सरकारी गाडी एचसी राजवीर के साथ कस्बा सेवर में मांगरोल रोड पहुंचे थे। यह कहना सही है कि सरकारी गाडी से हम थाने से जहां कही जाते है उस सरकारी गाडी से जाने बाबत लागबुक भरी जाती है लेकिन यह कहना सही है कि दिनांक 07.03.08 की हमारी कोई भी लागबुक कस्बा सेवर से मांगरोल रोड़ जाने बावत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यह कहना सही है कि हमारी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.15 पुलिस की प्रार्थना पर कराई थी ऐसा कोई नोट प्रदर्श पी.15 पर अंकित नहीं हैं अजबुद कहा कि श्री रामजीलाल एएसआई द्वारा हमारा मेडिकल कराने हेतु तहरीर पेष की भी जिस पर हमारा मेडिकल हुआ था। यह कहना सही है कि रामजीलाल एएसआई द्वारा हमारा मेडिकल कराने हेतु जो लिखित तहरीर दी थी उसकी कोई प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यह कहना सही है कि मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 मनियां पीएसची पर बनी लेकिन मनियां पीएचसी का कोई डिसपेच नंबर प्रदर्श पी 15 पर अंकित नहीं है। यह कहन सही है कि हमारी पूरी टीम द्वारा दिनांक 07.03.08 को तीन ट्रेक्टरों में से किसी भी टेक्टर को जब्त नहीं

किया और न ही मौके से किसी भी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल मनियां थाने से करीब डेढ किमी. के आसपास होगा। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.7 में तीन टेक्टर वक्तघटना मांगरोल रोड से मनियां की तरफ रेत भरकर आ रहे थे ऐसा कोई तथ्य प्रदर्श पी.7 में अंकित नहीं है। प्रदर्श पी.7 रामजीलाल एएसआई के हस्तलेख में है। जब नक्शा मौका बनाया था तब मांगरोल रोड पर बाजार खुला था। कई आदमियों से गवाह बनने को कहा था लेकिन कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कोई नोट प्रदर्श पी. 7 पर अंकित नहीं है। प्रदर्श पी.2 फर्द गिरफतारी मुल्जिम नेहनू व प्रदर्श पी.3 फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम पप्पू किसकी हस्तलेख में है मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहन सही है कि फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी. 16 मुल्जिम वीरेन्द्र पर मेरे कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं हैं यह कहना सही है कि घटना से सात महीने बाद के करीब की गिरफ्तारी दिखाई गई है। मैं 20-25 आदमियों में से कुछ को जानता था जिनमें कुछ व्यक्ति थाने पर आते रहते थे इसलिए मैं जानता था। मैं मनियां थाने के बहुत से लोगों को जानता हूं। मैं मनिया में से 40-50 आदमियों को जानता हूं जो मिलते रहते हैं। यह कहना सही है कि उक्त लोगो ने वायरलैस सैट का हँडमाइक को तोड़ दिया यह तथ्य मेरे पुलिस बयान में अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि हैड कानि. द्वारा उच्चाधिकारियों के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया हो। यह कहना गलत है कि हम वास्तव में उन मुल्जिमानों को पकडने जाते ट्रेक्टरों को पकडते तो मुल्जिमानों को हम मौके से गिरफतार करते व टेक्टरों को भी जब्त करते अजखुद कहा कि उनकी संख्या अधिक होने के कारण दे भाग गए। यह कहना गलत है कि मैं पुलिसकर्मी होने के कारण झूठा बयान दे रहा हू।

17. पी०डब्ल्यू०4 हिमाचल सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 07.03.08 को वह चालक कानि, के पद पर थाना मनियां पर पदस्थापित था। उस दिन श्री राजवीर सिंह हैड कानि. द्वारा बताया गया कि मांगरोल की तरफ से बजरी के टेक्टर आ रहे हैं। ये उन्हें सूचना मिली थी। इस पर एसएचओ साहब के आदेषानुसार मैं श्रीभगवान, अजय व विजय कुमार मय सरकारी गाडी एचसी राजवीर के साथ कस्वा सेवर में मांगरोल रोड पर थाने से करीब 10.30 बजे रवाना होकर मांगरोल रोड पर 10.45 बजे पहुंचे। मांगरोल की ओर से तीन ट्रेक्टर जिनकी टोलियों में मय चंबल रेता भरा था कस्बा की ओर आते दिखाई दिये जिनमें दो स्वराज व दो आयसर था। जिनको रूकवाया व नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम वीरेन्द्र व दूसरे का नाम आज मुझे ध्यान नहीं है। दोनों भवरोली के रहने वाले थे। तीसरे के पास जैसे ही नाम पूछने के लिए गये तो उसने नाम नहीं बताया तभी गली में से 10-15 लोगों की भीड लाठी डण्डा लेकर आ गई और हैड साहब से कहा कि आप इन्हें कैसे रोक रहे हो ये टेक्टर हम ले जाने नहीं देगे। हैड साहब ने मना किया तो उनसे मारपीट की। लाठीडण्डों से मारपीट की व धक्का मुक्की की। मारपीट करने वालों में दिलीप, देवो, आदि थे। अन्य का नाम मुझे ध्यान नहीं है। फिर वो लोग ट्रेक्टरों व डड्राइवरों को लेकर भाग गए। गवाह के साथ मारपीट नहीं हुई। मेरे साथ धक्का मुक्की हुई थी। गवाह की

एमएलआर प्रदर्श पी. 16 है जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं। मेरा पुलिस में बयान हुआ था। गवाह ने अपने पुलिस बयान में पुलिस जाब्ता के साथ मारपीट करने वालों के नाम दिलीप, कुंवरसिंह, भीमा, लोकमन, भगवानदास, भवानी, नहनू, सौदान, पप्पू, भूरी, देवो, राजेश्वर, बताये थे।

18. जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मैं दिनांक 07.03.08 को थाना मनियां पर चालक के पद पर तैनात था मेरी तैनाती बाबत कोई भी दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली में मौजूद नहीं हैं। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि राजवीर हैड कानि को मांगरोल से टेक्टर आने की सूचना कब प्राप्त हुई व किस माध्यम से मिली। मुझे राजवीर हैड कानि ने बोला था कि गाडी लेकर मांगरोल रोड पर चलना है। सरकारी गाडी किसके लिए अलॉट होती है यह मेरी जानकारी में नहीं है। में पुलिस विभाग विभाग में चालक का काम 1998 से कर रहा हूं उस गाडी का कमांडेट अधिकारी एसएचओ, एचएम, और डीओ होते हैं। डीओ आफीसर एएसआई, एसआई हो सकता है। यह कहना सही है कि दिनांक 07.03.08 को एसएचओ सहब द्वारा मुझे गाडी ले जाने के लिए कोई आदेष नहीं दिया गया था। जिसके आदेषानुसार मैं श्रीभगवान, अजय, विजयकुमार व राजवीर हेड कानि. गाडी लेकर मांगरोल गये हो ऐसा कोइ आदेष पत्रावली में मौजूद नहीं है। यह कहना सही है कि सरकारी गाडी से जाने बाबत लागबुक भरी जाती है लेकिन यह कहना सही है कि दिनांक 07.03.08 की हमारी कोई भी लागबुक कस्बा सेवर से मांगरोल रोड जाने बाबत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यह कहना सही है कि इस घटना में मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई धक्का मुक्की हुई थी लेकिन उस धक्का मुक्की में मेरे कोई चोटें आई हो तो मुझे ध्यान नहीं है। मेरा मेडिकल हुआ अथव नहीं इसका मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि मैंने बयान देने से न्यायालय की पत्रावली का भलीभांति अध्ययन किया। यह कहना सही है कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 16 पुलिस प्रार्थना पर कराई हो ऐसा कोई नोट प्रदर्श पी. 16 पर अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 मनियां पीएसची पर बनी लेकिन मनियां पीएचसी का कोई डिसपेच नंबर प्रदर्श पी.15 पर अंकित नहीं है। मैं डाइवरी सीट से एक आध बार उतरा था। अधिकांष समय मैं सीट पर गाड़ी में बैठा रहा था। जो गली में से जो 20-25 व्यक्ति आये उनमें से कितनों पर लाठी डण्डों थे मुझे ध्यान नहीं है मुझे केवल दिलीप का नाम ध्यान नहीं है। दिलीप व्यक्तिरूप से थाने पर आता जाता रहता था। अन्य व्यक्तियों का नाम मुझे ध्यान नहीं है। थाने वालों ने नामों के बारे में बताया था वही नाम मैने अपने पुलिस बयान देते समय बताये थे। पुलिस जाप्ते द्वारा मौके से किसी मे ट्रेक्टर टोली को जब्त नहीं किया और न ही उनके ड्राइवरों व व्यक्ति को गिरफतार किया। यह कहना गलत है कि मैं चालक कानि. होने के कारण झूठे बयान दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि यहपूरी घटना हैड कानि राजवीर द्वारा बनाई गई हो। ६ घटनास्थल थाने से डेढ किमी. दूरी पर होगा। यह कहना सही है कि हम थाना मनियां से मैं श्रीगवान, अजय और राजवीर

एचसी रवाना हुए ऐसा कोई रवानगी वापसी की रपट उपलब्ध नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हूं।

19. गवाह पी०ड० 05 डॉ० पवन बांदिल ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि दिनांक 07.03.2008 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में सीएचसी मनिया पर पदस्थापित था। उस दिन गवाह ने पुलिस थाना मनिया के प्रार्थनापत्र पर 2 पीएम पर श्री राजवीर सिंह के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिनमें चोट संख्या-1 खुरसट 1 सेमी गुणा 0.5 सेमी जोकि बांए अग्र भुजा के ऊपरी हिस्से पर अंदर की तरफ थी। 2. खुरसट .75सेमी गुणा .5सेमी जोकि बाएं कोहनी के सामने की ओर थी। 3. निलगु मय सूजन 1सेमी गुणा .75 सेमी जोकि बाएं कुल्हे की हडडी के पीछे की ओर थी। 4. शरीर के धड के पीछे के हिस्से पर दर्द की शिकायत। उक्त तीनों चोटों साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर सी से डी मजरूब के हस्ताक्षर व ई से एफ मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन मेंने 2.15 पीएम पर श्री विजय कुमार के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसकी चोटें 1. नीलगु मय सूजन 3 गुना 2 सेमी जोकि बाएं हाथ के बाहर के हिस्से पर पीछे की ओर थी। 2. खुरसट 1सेमी गुणा .75सेमी जोकि बाएं कोहनी के पीछे की ओर थी। 3. खुरसट 5सेमी गुणा 1.5सेमी जोकि बाएं अग्र भुजा के बीच के हिस्से पर पीछे की ओर थी। चोट नंबर 1 के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी और उसमें किसी तरह का कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। चोट संख्या 2 व 3 साधारण प्रकृति की थी। उक्त तीनों चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर व ई से एफ मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन मेंने 2.35 पीएम पर श्री हिमाचल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिनकी चोट 1. खुरसट .75सेमी गुणा .25सेमी जोकि दांए हाथ के रिंग फिंगर पर पीछे की ओर थी। 2. नीलगु मय सूजन 2 गुना 1 सेमी जोकि दांए कंधे के पीछे की ओर थी। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर सी से डी मेरे हस्ताक्षर व ई से एफ मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन मेंने 2.50 पीएम पर श्री भगवान के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिनकी चोट 1. नीलगु मय सूजन 2 गुना .75 सेमी जोकि बांयी जांघ की बाहर की ओर थी। 2. खुरसट 1सेमी गुणा .5सेमी जोकि बांए कंधे के उपर की ओर थी। 3. शरीर के धड के पीछे की ओर दर्द की शिकायत। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर व ई से एफ

मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन मेंने 3.05 पीएम पर श्री अजय सिंह के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जो 1. नीलगु 1.5 गुना 1 सेमी जोकि धड के पीछले हिस्से पर दांिहनी ओर बाहर की तरफ। 2. सूजन 3सेमी गुणा 2सेमी जोकि बांए अग्र भुजा के बाहर की तरफ 3. शरीर के बाएं तरफ के कुल्हे की हडडी में दर्द की शिकायत, उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर व ई से एफ मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है।

20. गवाह ने जिरह में कथन किया कि प्रदर्श पी 17,15,16,8,1 की सभी चोटों के ठोस धरातल पर गिर कर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अर्थात आ सकती हैं। यह कहना सही है कि उक्त सभी का मेडिकल पुलिस तहरीर के आधार पर ही किया गया था जो न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। यह सही है कि चूंकि उस समय अस्पताल छोटा था इसलिए उस समय सादा कागज पर ही उक्त एमएलआर बनायी गयी थीं।

21. उपरोक्त समस्त साक्ष्य का सूक्षमता से विवेचन व विश्लेषण किया जावे तो अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के अनुक्रम में न्यायालय को प्रथमतः यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा ही घटनास्थल पर घातक हथियारों लाठी, डण्डा, सरिया के माध्यम से अपने कर्तव्य का निवर्हन करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ स्वेच्छया मारपीट करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया व उनके पदीय कर्तव्य के निवर्हन से उन्हें रोका गया व दूसरा बिन्दु यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा चंबल नदी घडियाल प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाओं से वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति के बिना रेता को दोहन कर परिवहन कर वन्यजीव घडियाल के प्राकृतिक आवास को क्षति कारित की व रेता चोरी की गयी। विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर रिपोर्ट अनुसार कथन किया गया कि दिनांक 07.03.2008 को सुबह 10:30 बजे मुखबिर की सूचना पर परिवादी राजवीर सिंह हेड कानि० अपने पुलिस जाप्ते के साथ सरकारी जीप से मांगरोल रोड, मनियां धौलपुर की पुलिया के पास पहुंचे। वहाँ चंबल नदी की रेत से भरे तीन बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली आते हुए मिले। जिनसे उन्होंने ट्रैक्टरों को रोककर चालकों से पूछताछ की। इसी दौरान 20–25 व्यक्ति लाठी-सरिया लेकर आए और पुलिस को गाली-गलौच करते हुए ट्रैक्टरों को रोकने से मना किया। इन व्यक्तियों में दिलीप, अमर सिंह, भीमा उर्फ भीमसेन, भवानी, नेहनू उर्फ रामविलास, भूरी, देवो उर्फ देवीसिंह, सौदान, पप्पू आदि शामिल थे। इन लोगों ने सरकारी जीप को घेर लिया, पुलिस को जान से मारने की धमकी दी और धक्का-मुक्की व मारपीट की, जिससे परिवादी व अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। देवो उर्फ देवीसिंह ने वायरलेस का माइक छीन लिया, जिससे थाने को सूचना नहीं दी जा सकी। इसी बीच ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गए।

22. इस संबंध में गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो सर्वप्रथम प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण हे कि तहरीर रिपोर्ट में मुस्तगीस राजवीर द्वारा तीन ट्रैक्टर

मय ट्रॉली रेता भरे हुए को रोकने पर चालक वीरेन्द्र व विनोद के अतिरिक्त् तीसरे चालक का नाम पूछने के समय कस्बा मनिया की ओर से 20-25 आदमियों द्वारा मारपीट व धक्का-मुक्की करना एवं देवीसिंह द्वारा माईक छीनना व मारपीट करना बताया है, किन्तु मुस्तगीस की साक्ष्य में मुल्जिमान की पहचान के संबंध में कोई स्पष्ट नहीं किये बल्कि मुल्मिजान को थाने में आने-जाने से पहचानना बताया किन्तु वह मुल्जिम को शक्ल व चेहरे से कैसे पहचानता था, इस संबंध में सही तरीके से बताने में असमर्थता जाहिर की गयी एंव मुल्जिमान सहित 20-25 लोगों की भीड द्वारा हमला एकसाथ करना बताया व देवो और भगवानदास के अतिरिक्त किसने कहां मारा इस संबंध में ध्यान नहीं होने का कथन किया गया है, इसी क्रम में जाब्ता के अन्य गवाहान पी०ड०1 अजयसिंह, पी०ड०2 भगवान शर्मा, पी०ड०3 विजय कुमार, पी०ड०4 हिमाचल सिंह द्वारा भी अपनी साक्ष्य के दौरान मुल्जिमान की पहचान के संबंध में विरोधाभासी कथन किये गये साथ ही मोके पर किसी भी ट्रैक्टर मय ट्रॉली की जब्ती नहीं होना प्रकट हुआ है।

23. प्रकरण में घटनास्थल थाने से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होना प्रकट हुआ है, किन्तु थाना से घटनास्थल पर सरकारी वाहन से पहुंचने के संबंध में कोई एसएचओ को लिखित आदेश अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे परिवादी पक्ष की मौके पर मौजूदगी के तथ्य की पुष्टि होती हो, स्वयं परिवादी राजवीर पी०डब्ल्यू०6 व जाब्ता के अन्य सदस्यगण पी०ड०1 लगायत पी०ड०4 द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया है कि सरकारी गाडी से कहीं भी जाते हैं तो इस बाबत लॉगबुक भरी जाती है, किन्तु ऐसी किसी लॉगबुक को साक्ष्य के दौरान पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है । इसके अतिरिक्त मुस्तगीस राजवीर द्वारा अपनी साक्ष्य में मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचना बताया गया है किन्तु इस संबंध में थाना प्रभारी का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है।

24. पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका का अवलोकन करें तो नक्शा मौका पर भी किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि गवाहान की साक्ष्य के दौरान घटनास्थल वाला स्थान पूरा मार्केट व दुकानें खुली हुई होना व भीडभाड होना बताया गया है, ऐसे में नक्शा मौका के स्वतंत्र गवाहान नहीं बनाये गये हैं । गवाह पी०ड०2 भगवान शर्मा जो कि जाब्ता का सदस्य है एवं अपनी साक्ष्य में नक्शामौका घटनास्थल प्र०पी०7 पर हस्ताक्षर का कथन करता है एवं जिरह में स्वीकार करता है कि नक्शा मौका के स्वतंत्र गवाहान नहीं बनाये गये क्योंकि स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ और ना ही ऐसा कोई नोट नक्शा मौका पर अंकित है। गवाह पी०ड०6 व 3 द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त् देवो उर्फ देवीसिंह द्वारा माईक छीनकर तोडना बताया गया है किन्तु उनके पुलिस बयान में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि माईक टूटा हुआ हो, साथ ही टूटे हुए माईक की जब्ती नहीं की गयी है।

25. अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में भी गवाहान द्वारा पुलिस थाना पर आने-जाने से पहचानना बताया गया है किन्तु मुस्तगीस राजवीर पी०ड०6 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि मुल्जिमान से उसका उठना-बैठना नहीं है, लेकिन वह शक्ल से

पहचानता है, वह शक्ल व चेहरे से कैसे पहचानता है, आज सही तरीके से नहीं बता सकता। इस प्रकार मुल्जिमान की पहचान के संबंध में स्वयं मुस्तगीस द्वारा विरोधाभासी कथन किये गये हैं। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त देवो उर्फ देवीसिंह का भारतीय सेना में कार्यरत होना प्रकट हुआ है, ऐसे में अभियुक्त देवो उर्फ देवीसिंह को मुस्तगीस पक्ष यदि उसके थाना में आने-जाने के कारण पहले से जानते थे, तो अभियुक्त देवा उर्फ देवीसिंह को बतौर भारतीय सेना में कार्यरत कार्मिक थाना में क्यों आना-जाना था, इस संबंध में कोई तथ्य साक्ष्य के दौरान प्रकट नहीं हुए, जिससे गवाहान के उक्त कथन संदेहास्पद प्रतीत होते हैं।

26. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र से रेता का दोहन कर घडियाल के प्राकृतिक आवास की क्षति कारित करने का संबंध है तो प्रकरण में वक्त घटना तीन ट्रैक्टर मय ट्रॉली को रोकना बताया गया है किन्तु ऐसे वाहन को मौके से चालक द्वारा भगाकर ले जाना भी प्रकट है एवं ऐसा कोई वाहन जब्त नहीं किया गया है, यद्यपि प्रकरण में जरिये फर्द जब्ती प्र०पी०13 एक ट्रैक्टर बिना नंबरी मय ट्रॉली जब्त करना प्रकट हुआ है किन्तु उक्त वाहन से किसी प्रकार का रेता बरामद हुआ हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है एवं उक्त वाहन भी घटना दिनांक 07.03.2008 के पश्चात दिनांक 16.12.2008 को अर्थात लगभग 8 माह पश्चात जब्त किया गया है । प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान संबंधी तथ्यों व अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी अनुसंधान अधिकारी फौत होन के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो सका है, जिससे अनुसंधान संबंधी तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई।

27. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं गवाहान के बयानों का समस्त परीक्षण एवं विश्लेषण करने से यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास होना, अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है। अतः अभियुक्तगण को धारा 147, 148, 149, 332, 353, 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश -

29. अतः अभियुक्तगण 1. विनोद पुत्र पंचम सिंह, निवासी भमरौली थाना सदर जिला धौलपुर राज. 2. वीरेन्द्र पुत्र रामजीलाल, निवासी भमरौली थाना सदर जिला धौलपुर राज. 3.रामनिवास उर्फ नहनू उर्फ रामविलास पुत्र बाबूलाल निवासी पोस्ट ऑफिस के पास कस्बा मनियां जिला धौलपुर राज.4. पप्पू पुत्र भीमसेन, निवासी हेतराज का अड्डा भानपुर थाना मनियां जिला धौलपुर राज. 5.भीमा उर्फ भीमसेन पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां जिला धौलपुर राज. 6. सौदान सिंह पुत्र भीमसेन, निवासी हेतराज का अड्डा थाना मनिया जिला

धौलपुर राज. 7. भवानी सिंह पुत्र बाबूलाल, निवासी मनियां जिला धौलपुर राज. 8. दिलीप सिंह पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां जिला धौलपुर राज. 9. अमरसिंह पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां, जिला धौलपुर 10. भूरी सिंह पुत्र श्री मेवाराम, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, मनियां, थाना मनियां, धौलपुर 11. रामेश्वर पुत्र मेवाराम, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, मनियां, थाना मनियां, धौलपुर 12. भगवानदास पुत्र बाबूलाल, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, मनियां, थाना मनियां, धौलपुर 13. लोकमन पुत्र रोशनलाल, निवासी मनियां, जिला धौलपुर 14. देवीसिंह उर्फ देवो पुत्र मेवाराम, निवासी मनियां, जिला धौलपुर को धारा 147, 148, 149, 332, 353, 379, 120बी भा.दं.सं., 29/51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के न्यायालय में हाजिर आने बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत जमानत मुचलके प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है, जो सुपुदर्दार के पास रहे तथा वाहन का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे। प्रकरण में अभियुक्त **मलखान पुत्र पोप सिंह** के फौत होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है।

(शैला फौजदार)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)

29. यह निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया एवं मुद्रॉकित कराया गया।

(शैला फौजदार)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)

SATYENDRA SINGH

Stenographer-III "Authenticate document"
Digitally signed by SATYENDRA SINGH